[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 65/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई, 2017

सा.का.नि. ---- (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, क्रम सं. 547 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"547A	88 या अन्य कोई अध्याय	एयरक्राफ्ट, एयर क्राफ्ट इंजन या एयर क्राफ्ट के अन्य हिस्से जिसको केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1 (ख) या 5 (च) में आने वाले संव्यवहार के अंतर्गत भारत में आयात किया गया हो।	-	शून्य	102"

(ii) अनुबंध में शर्त सं. 101 के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

शर्त सं.	शर्त
"102	आयातकर्ता उस फॉर्म में जिसे कि आयुक्त, सीमा शुल्क विनिर्दिष्ट करे, एक बंधपत्र जारी करके स्वयं को निम्न के प्रतिबद्ध करता हो, - (i) उन सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी, 2017 की धारा 5 (1) के अंतर्गत लगने वाले एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, की अनुसूची II के मद 1 (ख) या 5(च) के अंतर्गत आती हों; (ii) आयात वाले पत्तन के सीमा शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना माल को न तो बेचना न किसी को देना; (iii) ऐसे माल का उस अवधि की समाप्ति के 3 महीने के भीतर पुन: निर्यात करना जिस अवधि के लिए उनकी केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के तहत भारत के बाहर से आपूर्ति की गई हो; (iv) उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट के सिवाय उक्त माल पर लगने वाले एकीकृत कर के बराबर की राशि का माग किए जाने पर भुगतान करना।"

[फा.सं. 354/134/2017- टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार